

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

कार्यालय-आदेश

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, राँची की अध्यक्षता में दिनांक 23.12.2016 को जिला शिक्षा स्थापना समिति, राँची की आवश्यक बैठक में जिला शिक्षा स्थापना समिति, राँची की बैठक दिनांक 22.11.2016 में लिये गये निर्णय एवं क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, दक्षिणी छोटानागपूर प्रमण्डल, राँची के कार्यालय पत्रांक 1022 दिनांक 02.12.2016 द्वारा प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु अनुमोदित वरीयता सूची सं. 2 एवं ग्रेड 4 वेतनमान के विभिन्न पदों के रोस्टर विलयरेंस के आधार पर ग्रेड 4 उर्दू भाषा पद एवं वेतनमान के पदों पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 4531/अनु०स० दिनांक 23.08.2007, पत्रांक 4722 दिनांक 14.08.2008 एवं पत्रांक 10266 दिनांक 06.12.2016, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 36012/11/2016 दिनांक 30.09.2016 एवं पदस्थापन हेतु निर्गत सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 3021 दिनांक 12.12.2015 एवं विभागीय पत्रांक 1317 दिनांक 15.06.2015 के आलोक में प्रोन्नति के संबंध में विचार हेतु निर्णय लिया गया।

जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1985 दिनांक 20.11.2016 द्वारा प्रेषित योजना सह वित्त विभाग से "शिक्षकों की प्रोन्नति पद पर योगदान की तिथि से अनुमान्य होगा या जिस तिथि को प्रोन्नति उन्हें अनुमान्य होगा उस तिथि से दी जाएगी", के बिंदु पर प्राप्त परामर्श कि "प्रोन्नति प्राप्त पदाधिकारी/कर्मचारी को उच्चतर पद का वेतनमान उसी तिथि से देय होगा, जिस दिन से वे उच्चतर पद पर प्रभार ग्रहण कर कार्य करना प्रारंभ करेंगे," के अनुपालन में उच्चतर पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति दिये जाने का सर्वसम्मतिपूर्वक निर्णय लेते हुए उन्हें ग्रेड 4 उर्दू भाषा पद पर स्थानांतरित करते हुए पदस्थापित किया गया।

PROMOTION AND POSTING LIST OF GRADE IV LANGUAGE URDU TEACHERS, RANCHI DISTRICT YEAR 2016								
URDU SR NO.	CAT	NAME OF TEACHERS	M/F	HOME BLOCK		PRESENT SCHOOL NAME, SL NO AND BLOCK		
MASTER SL NO.	PRO. CAT.	ADHAR NO.	DATE OF BIRTH			PROMOTION AND POSTED SCHOOL NAME, SL NO AND BLOCK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	UR	TALLAT TASNEEM	F	SADAR		GMS PISKA	18003	ORMANJHI
1327	URDU UR-1	670010972708	25	01	1965	GMS BALSOKRA (URDU)	576	CHANHO
37	UR	MD SABIR HUSSAIN	M	BURMU		GMS MATWE URDU	14011	BURMU
1715	URDU UR-2	860551065579	13	07	1957	GMS MATWE URDU	731	BURMU
38	UR	MD NAZIMUDDIN	M	ITKI		GPS URDU KANBHITA	01045	MANDAR
1716	URDU UR-3	856579912845	01	01	1958	GMS MOHANPUR URDU	735	BURMU

1. प्रोन्नत पद का वेतनमान झारखण्ड सेवा संहिता की धारा- 58, वित्तीय नियमावली के नियम 74 एवं योजना सह वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श अनुसार पद ग्रहण कर कार्य प्रारंभ करने की तिथि से अनुमान्य होगा।
2. संबंधित शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण की योग्यता एवं जाति आदि कोई भी प्रमाण/अंक पत्र जाँच में गलत/त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में दी गई प्रोन्नति तत्क्षण रद्द करते हुए नियमानुकूल वैधानिक कार्रवाई एवं वसूली आदि की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
3. उपर्युक्त प्रोन्नति के माननीय उच्च न्यायालय वाद में पारित आदेश से प्रभावित होने की स्थिति में अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत कर प्रोन्नति का लाभ प्राप्त किये जाने की स्थिति में आवश्यक संशोधन, वसूली, आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रद्द किए जाने आदि का अधिकार जिला शिक्षा स्थापना समिति, राँची एवं जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, राँची के पास सुरक्षित होगा।
4. प्रोन्नत पद पर अधिकतम 15 दिनों में योगदान करना होगा। पदग्रहण काल के भीतर पदग्रहण नहीं किए जाने की स्थिति में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 265 एवं 56 के

4171
30/12/2016

11/12/2016

2/2

अनुसार कर्तव्य से जान-बूझकर अनुपस्थित रहने एवं तदनुसार कदाचार मानते हुए किसी भी वेतन अथवा छुट्टी वेतन का हकदार नहीं होंगे। दिनांक 15.01.2017 से वे स्वतः विरमित माने जायेंगे।

ह०/-
जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची।

ह०/-
उपविकास आयुक्त,
राँची।

ज्ञापांक: 4171 / राँची, दिनांक: 30/12/16

प्रतिलिपि: उपर्युक्त सभी नवप्रोन्नत स्नातक प्रशिक्षित उर्दू भाषा सहायक शिक्षक/शिक्षिका/संबंधित क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक, राँची-1,2/निकासी एवं व्ययन प्रधानाध्यापक, संबंधित मध्य विद्यालय एवं कोषागार पदाधिकारी, राँची एवं डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, राँची/निदेशक प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, दक्षिणी छोटानागपूर प्रमण्डल, राँची एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची।

उपविकास आयुक्त,
राँची।